

18-1-17

फावली पेश हुई वकील फ्रीडेन उपायित। बंटवारा प्रस्ताव पर वकील फ्रीडेन से सुना गया। वकील फ्रीडेन बंटवारा प्रस्ताव से सहमत हैं। अतः दावा वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण उन्निम्न डिस्ट्री किया जाता है। विवादित आराजी ख.नं. 56 खबा 3 बीघा 11 बिस्वा, ख.नं. 39|1 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, ख.नं. 119 खबा 02 बिस्वा, ख.नं. 248 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा, ख.नं. 250|1 रकबा 3 बीघा 05 बिस्वा कुल किला 5 कुल रकबा 12 बीघा 04 बिस्वा बांटे ग्राम रानीपुरा एवं ख.नं. 40|1 रकबा 13 बिस्वा ग्राम - नयागाँव वादी के हिस्से खालेदारी व कुर्जी में रहेगी। ख.नं. 39|2 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, ख.नं. 103 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा, ख.नं. 244 रकबा 2 बीघा 03 बिस्वा एवं ख.नं. 250|2 रकबा 3 बीघा 05 बिस्वा कुल किला 4 कुल रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा ग्राम रानीपुरा एवं ख.नं. 40|2 रकबा 12 बिस्वा, ख.नं. 41 रकबा 10 बिस्वा, ख.नं. 86 रकबा 2 बीघा 06 बिस्वा कुल किला 3 कुल रकबा 3 बीघा 08 बिस्वा बांटे ग्राम नयागाँव प्रतिवादी नं. 6 ता 8 के हिस्से खालेदारी व कुर्जी में रहेगी। ख.नं. 33 रकबा 2 बीघा 02 बिस्वा, ख.नं. 39|3 रकबा 1 बीघा 07 बिस्वा, ख.नं. 91 रकबा 6 बीघा 04 बिस्वा व ख.नं. 250|3 रकबा 3 बीघा 04 बिस्वा कुल किला 4 कुल रकबा 12 बीघा 11 बिस्वा ग्राम - रानीपुरा प्रतिवादी नं. 1 ता 5 के हिस्से खालेदारी व कुर्जी में रहेगी जिसमें प्रतिवादी नं. 1 व 2 का 2/9 हिस्सा व प्रतिवादी नं. 3 ता 5 व वंदना, पुरषी, रामा फुरीया गणेशसिंह का 1/9 हिस्सा रहेगा। इसी अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के हक में शजत्य रिफार्ड में अलग-2 खालेदारी इस्लाम किया जावे। बंटवारा प्रस्ताव मय निर्णय व डिस्ट्री का मुज रहेगा। तदनुसार फर्वा डिस्ट्री जारी हो। फावली केसल शुगर लोडर दाखिल करवा दी।

Handwritten signature/initials.

दो वृत्त 211 दूब
आपान्यपि ८

4

उपखण्ड अधिकारी
मण्डरायल (करोली)